सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 97
05/02/2018

दो लोक सूचना पदाधिकारी को लगा आर्थिक दण्ड

पटना–05 फरवरी, 2018 :– राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार राज्य सूचना आयुक्त श्री बी0के0 वर्मा ने वाद सं0–64622/11–12, एवं वाद सं0–139171/16–17 के मामले में पी0आई0ओ0 को दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक श्री राजी हसन एवं, श्री साकेत कुमार को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा दिए गए निदेश की अवहेलना करने के एवज में प्रथम मामले में लोक सूचना पदाधिकारी–सह– नगर निगम, मुजफ्फरपुर (श्री रविशचन्द्र वर्मा) एवं द्वितीय मामले में लोक सूचना पदाधिकारी–सह प्रधानाध्यापिका, रा0म0विद्यालय, गोरौल, वैशाली को क्रमशः को 10000/–(दस हजार) रू0 और द्वितीय मामले 25000/– (पच्चीस हजार) रू0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। साथ दोनों जिला के जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, को फैसले की कॉपी इस आशय के साथ ही भेजी है कि दण्ड राशि की कटौती कर आयोग को शीघ्र अवगत कराये।

ज्ञातव्य है कि उक्त दानों मामलों की अगली सुनवाई क्रमशः दिनांक 03 मई, 2018 को साढ़े दस बजे तथा दूसरे मामले की सुनवाई 13 फरवरी, 2018 को ढाई बजे अपराह्न आयोग कार्यालय में होगी।

******